

तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि भाकड़ा पैरेलल लाइन कब तक हरियाणा की मुकम्मल हो जायेगी और उसके साथ-साथ यह कि व्यास का पानी कितने दिन में सतलज में डाइवर्ट हो जायेगा और हरिका पट्टन का कंट्रोल आपके हाथ में है या पंजाब की सरकार के हाथ में है। यह, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ।

DR. K. L. RAO : Sir, the Beas link cannot be completed until 1973. As the hon. Member has said, it is true that there has to be a parallel canal or some other modification has to be done in order to take the waters to Haryana. The only question is with regard to the apportionment or allocation between Punjab and Haryana. That is yet to be decided; some other matters are also under consideration.

Then, Sir, with regard to the Harika barrage, according to the Punjab Reorganisation Act it would have been transferred to the Centre but the Punjab Government has stated that the control must be with the Punjab Government. This matter is under consideration. A few days back also I had a discussion with the Home Minister and the matter is still under consideration. But it is not fair to say that we are not allowing the water to go to Rajasthan but to Pakistan. From 6 o'clock this morning no water is being allowed to go to Pakistan.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENTS SHOWING ACTION TAKEN BY GOVERNMENT OF THE VARIOUS ASSURANCES PROMISES AND UNDERTAKINGS GIVEN DURING THE VARIOUS SESSIONS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. RAGHURAMAIAH) : Sir, I beg to lay on the Table the following statements showing the action taken by Government on the various assurances, promises and undertakings given during the sessions shown against each :—

(i) Statement No. XV—Sixty-third Session, 1968.

(ii) Statement No. XIII—Sixty-fifth Session, 1968.

(iii) Statement No. XI—Sixty-sixth Session, 1968.

(iv) Statement No. IX—Sixty-seventh Session, 1969.

(v) Statement No. VII—Sixty-eighth Session, 1969.

(vi) Statement No. V—Sixty-ninth Session, 1969.

(vii) Statement No. II—Seventieth Session, 1969.

[See Appendix LXXI, Annexure Nos. 111 to 117]

APPROPRIATION ACCOUNTS (1968-69) AND AUDIT REPORT (1970) OF THE DEFENCE SERVICES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers, under clause (1) of article 151 of the Constitution :—

(i) Appropriation Accounts of the Defence Services for the year 1968-69 and Commercial Appendix thereto.

(ii) Audit Report (Defence Services), 1970.

[Placed in Library. See No. LT—3043/70 for (i) and (ii)].

NOTIFICATIONS OF THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF BANKING)

SHRI P. C. SETHI : Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Banking), under sub-section (11) of section 45 of the Banking Companies Act, 1949 :—

(i) Notification No. F. 17(10)-BC/69, dated the 5th November, 1969, containing the scheme for the amalgamation of the Bank of Behar Limited, Patna, with the State Bank of India.

(ii) Notification No. F. 17(2)-BC/70, dated the 20th February, 1970, containing the scheme for amalgamation of the National Bank of Lahore Limited, Delhi.

with the State Bank of India.

[Placed in Library. See No. LT-3125/70 for (i) & (ii)].

**NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE AND
INSURANCE)**

SHRI P. C. SETHI : Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification G.S.R. No. 92, dated the 21st March, 1970 (in English and Hindi), publishing the Tax Credit Certificate (Equity Shares) (Amendment) Scheme, 1970, under sub-section (4) of section 280ZE of the Income Tax Act, 1961. [Placed in Library. See. No. LT—3097/70]

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर । इस आर्डर पेपर के आइटम नम्बर 2 में (ए०) (बी०) (सी०) पर तीन पेपर्स हैं, (सी०) में साफ लिखा गया है कि वह पेपर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में रखा जा रहा है और इसी तरह से आइटम नम्बर 3 में लिखा गया है कि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में रखा जा रहा है लेकिन आइटम नम्बर 2 के (ए०) और (बी०) पर जो पेपर्स हैं उनके बारे में यह मेशन नहीं है कि वह अंग्रेजी भाषा में रखे जायेंगे या हिन्दी भाषा में रखे जायेंगे या किस भाषा में रखे जायेंगे और अगर मैं प्रिज्यम करूं तो वह अंग्रेजी भाषा में ही रखे जायेंगे । इस सदन में बार-बार यह बात उठाई गई है, बार बार यह कहा गया है कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी रखा जायेगा या अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी रखी जाये और बार-बार यह सरकार इसकी अवहेलना करती है और इसमें तो साफ ही नहीं है कि वह हिन्दी भाषा में रखी जायगी या अंग्रेजी भाषा में इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री जी को निर्देश करें कि वह इसको टेबल पर ले न करें ।

SHRI K. RAGHURAMIAH : I think, so far as my Statement is concerned ...

MR. CHAIRMAN : The question is about item No. 2.

SHRI P. C. SETHI : I will make inquiries. I take note of it.

श्री रेवती कान्त सिंह : व्हाट इन्क्वायरी । वह किस भाषा में रख रहे हैं—अंग्रेजी में कि हिन्दी में । वह कहें तो अंग्रेजी में रख रहे हैं कि हिन्दी में रख रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN : The question is whether copies of these Notifications are both in English and in Hindi.

SHRI P. C. SETHI : Where it is mentioned both in English and Hindi, of course they are in both.

श्री सभापति : उसमें नहीं लिखा हो ...

SHRI P. C. SETHI : Then I will have to find out as to what is the position.

MR. CHAIRMAN : You will have to find out.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मुझे एक निवेदन और करना है

श्री सभापति : क्या इसीके बारे में ।

श्री राजनारायण : हां, इसी बारे में । यानी हम लोगों को पहले नित्यप्रति अपने सदन की कार्यवाही का अंग्रेजी और हिन्दी सारांश मिल जाता था, मगर श्रीमन् जब से आप आसन पर विराजमान हुए हैं, चूंकि ये लोग जानते हैं कि आप हिन्दी अच्छी जानते हैं तो पता नहीं आपका तिरस्कार किया जा रहा है, या आपके हिन्दी जानने का नाजायज फायदा लिया जा रहा है, तो जब से आप आये हैं तब से हिन्दी के सारांश वाली नित्यप्रति की सदन की कार्यवाही हम लोगों को नहीं मिलती । हमने कई बार अपने सम्मानित राज्य सभा के सचिव को इंगित किया कि यह क्यों हो रहा है, पहले जो काम होता था वह भी अब क्यों नहीं होता, केवल अंग्रेजी भाषा में सिनोपसिस क्यों होता है, यह एक जवर्दस्त खामी है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फौरन, तत्काल, अविलम्ब, एक आदेश करें कि हमको आज से अवश्य हिन्दी का सारांश, नित्यप्रति की कार्यवाही का मिले ।